

l f'pdkLr l f'pdkvka dh l pph&2015

tqykb&2015

f'k{kk foHkkx

de l 0	l f'pdk l q; k	fo"k;	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	01/लोक(शिक्षा)01/11	अंचलाधिकारी पाकुड़ द्वारा निवास प्रमाण पत्र अवैद्य करार दिए जाने के बावजूद भी हुसनी मुबारक द्वारा मध्य विद्यालय हरिगंज में पारा शिक्षक के रूप में का कार्यरत रहने के संबंध में इकरामुल हक, पाकुड़ का परिवाद ।	09.07.2015	जिला शिक्षा अधीक्षक पाकुड़ से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के आरोप सही पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

क्रम सं०	संचिका संख्या	विषय	संचिकास्त की तिथि	अंतिम आदेश
1.	01/लोक(राजस्व)09/14	दाखिल खारिज के संबंध में श्री त्रिवेणी राम व अन्य अरगोड़ा राँची का परिवाद ।	27.07.2015	उपायुक्त राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहरता राँची के न्यायालय में अपील वाद दाखिल किया गया है जो इस समय लंबित है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

LokLF; foHkkx

de l 0	l f'pdk l q; k	fo"k;	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	01/लोक(स्वा0)05/2014	Reckless Treatment के कारण करण ठाकुर (5 वर्ष) की मृत्यु होने के संबंध में श्री राजेन्द्र कुमार	08.07.2015	आरोपित डॉ० के विरुद्ध मोहनपुर थाना काण्ड सं. 287/2013 भारीय दण्ड संहिता के धारा 304 के तहत

		झा देवघर का परिवाद ।		दर्ज कर लिया गया है तथा पुलिस द्वारा सक्षम न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। इस प्रकार परिवादी के याजना की पूर्ति हो जाने के उपरान्त माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे बंद कर दिया गया ।
--	--	----------------------	--	--

ty l d k/ku foHkkx

de l d	l fpdk l a; k	fo"K;	l fpdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	02/लोक(जल.सं)03/2014	प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन अन्तर्गत वेतन स्वीकृति के संबंध में श्री भुनेश्वर लाल का परिवाद ।	09.07.2015	अवर सचिव जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची से प्राप्त प्रतिवेदन तथा परिवादी के मंतब्य के अनुसार परिवादी अविभाजित बिहार में ही सेवानिवृत्त हुए हैं अतः उनका बकाया का भुगतान बिहार सरकार के द्वारा किया जाना है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(ज.सं.)02/14	सेवानिवृत्ति उपरान्त भुगतेय विभिन्न पावनाओं , बकाया वेतन एवं लंबित यात्रा भत्ता के भुगतान के संबंध में श्री बृजनन्दन प्रसाद सेवानिवृत्त कनीय अभियंता, बांकी पुर पटना का परिवाद ।	21.07.2015	प्राप्त पतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी के सभी देय पावनाओं का भुगतान प्राप्त हो गया है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

ou foHkkx

de l d	l fpdk l a; k	fo"K;	l fpdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	02/लोक(वन) 05/13	जंगली हाथी द्वारा मारे जाने पर मुआवजा के संबंध में पेठियार खड़िया गुमला का परिवाद ।	09.07.2015	वन प्रमंडल पदाधिकारी गुमला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद का निराकरण मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये का भुगतान कर किया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(वन)01/14	अवैद्य आरा मिल का अवचक निरीक्षण कर बंद	16.07.2015	माननीय लोकायुक्त द्वारा गठित दो सदसीय समिति द्वारा

	करवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में मो० परवेज आलम, मधुपुर, देवघर का परिवाद ।		समर्पित विस्तृत जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी का आरोप सही नहीं पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय द्वारा बंद कर दिया गया ।
--	--	--	---

ifyl foHkkx

de l 0	l fipdk l f; k	fo"ki	l fipdkLr dh frffk	vf're vkn'sk
1.	01/लोक(पुलिस)13/2013	थाना प्रभारी बोरियो श्री राधेश्याम राम व दारोगा श्री विशेश्वर यादव के विरुद्ध रिश्वत लेकर मनमाना पूर्ण कार्य करने व सरेआम रिश्वत की मांग करने के संबंध में प्रेम प्रमाणिक का परिवाद ।	16.07.2015	पुलिस महानिरीक्षक झारखण्ड राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार दारोगा विशेश्वर यादव के विरुद्ध आरोप सही पाये जाने के कारण तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अतः विभाग द्वारा समुचित कार्रवाई करने के पाश्चात माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद पर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
2.	01/लोक (पुलिस) 08/13	सदर थाना प्रभारी हजारीबाग के द्वारा भूमि विवाद पर दर्ज शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने की रमेश प्रसाद कमल का शिकायत ।	15.07.2015	प्रमंडलीय आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार इसी वाद से संबंधित वाद सं. T.S. 60/94 सक्षम न्यायालय में लंबित है। अतः इस वाद पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार वाद पर माननीय लोकायुक्त द्वारा अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।
3.	01/लोक(पुलिस)19/2011	Dy SP सिमडेगा देवनरायण उराँव द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर बहाली के नाम पर लाखों रूपये ठगी करने के संबंध में अशोक कुमार यादव व अन्य का परिवाद ।	21.07.2015	माननीय लोकायुक्त के द्वारा पारित आदेश के आलोक में गृह विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा आरोपित लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भा.द.वि. के विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकि दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। अतः वाद पर माननीय लोकायुक्त अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।

i Fk fuekZ k foHkkx

दॆ l 0	l fpdk l a; k	fo"K;	l fpdkLr dh frfFk	vfıre vkn's k
1.	01/लोक(पथ)02/2012	श्री विजय कुमार दास प्रभारी कार्यपालक अभियंता(NREP) चाईबासा के विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में श्री राजेन्द्र प्रसाद चाईबासा का परिवाद ।	09.07.2015	निगरानी ब्यूरो झारखण्ड राँची से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी का आरोप सही नहीं पाया गया। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा वाद को संचिकास्त कर दिया गया ।
2.				

df"K foHkkx

दॆ l 0	l fpdk l a; k	fo"K;	l fpdkLr dh frfFk	vfıre vkn's k
1.	01/लोक(कृषि)01/2012	डॉ० एस.एम.एस कुली द्वारा फर्जी दस्तावेज जमा कर BAU में Associate Professor –Cum- Senior Scientist के पद पर पदोन्नति के संबंध में श्री के. एन. पंडित से प्राप्त शिकायत ।	09.07.2015	Birsa Agriculture University, Kanke Ranchi से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार डॉ० एस.एम.एस कुली को पदोन्नत कर दिया गया है। अतः BAU द्वारा आरोपी लोकसेवक के विरूद्ध समूचित कार्रवाई कर परिवाद का निराकरण कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

xkfe.k fodkl , oa dk; Z foHkkx

दॆ l 0	l fpdk l a; k	fo"K;	l fpdkLr dh frfFk	vfıre vkn's k
1.	01/लोक(ग्रा.का. वि.	पलामू जिला मुख्यालय व छतरपुर अनुमंडल में	06.07.2015	उपायुक्त पलामू से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जांच

)02/2012	PMGSY की राशि से बनने वाली सड़को में अनियमितता के संबंध में मो0 अखतर जमा, मेदनीनगरए का परिवाद ।		समिति द्वारा उठाये गये सड़क निर्माण के खामियों को दुरुस्त कर लिया गया है, तथा अगले पांच वर्षों के लिए सड़क के देख रेख के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(ग्रा.वि.)26/13	सेवान्त लाभ के संबंध में श्री भैरव मंडल गोड्डा का परिवाद ।	21.07.2015	उपायुक्त गोड्डा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी को पेंशन प्राप्त करनेक के प्रति इच्छा की कमी है तथा जान बुझ कर विलम्ब कर रहा है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया।
3.	02/लोक(ग्रा.वि.)03/14	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राजनगर द्वारा फर्जी बिल बना कर भ्रष्टाचार में लिप्त मुखिया को बचाने के संबंध में अनिल कुमार महतो सरायकेला खरसांवा का परिवाद।	14.07.2015	उपायुक्त सरायकेल खरसांवा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा आरोपी लोकसेवकों से प्राप्त कारण पृछा के उत्तर के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त बंद कर दिया गया ।
4.	02/लोक(ग्रा.वि.)07/14	इन्दिरा आवास आवंटन में रिश्वत मांगने के संबंध में बुधन हाँसदा देवघर का परिवाद ।	09.07.2015	उपायुक्त देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार जांचोपरान्त परिवादी का आरोप सही नहीं पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
5.	02/लोक(ग्रा.वि.)10/14	सामाजिक सुरक्षा पेंशन व बी.पी.एल. सुविधा का लाभ दिलाने के संबंध में मुन्नी देवी , मधुपुर का परिवाद ।	04.07.2015	उपायुक्त देवघर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादीनीके परिवाद का निरकरण कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त बंद कर दिया गया ।

I kekt dY; k.k foHkkx

de l 0	I fpdk l a; k	fo"k;	I fpdkLr dh frfFk	vf're vkn's k
1.	02/लोक(स.क.वि.)05/13	सेविका चयन में अनियमितता के संबंध में श्रीमती समपति देवी पलामू का परिवाद ।	13.07.2015	जिला सामाज कल्याण पदाधिकारी पलामू तथा परिवादीनी के द्वारा सुनवाई के दौरान दिये गये दलिलो के परिवादीनी का आरोप सही नहीं पाया गया । अतः सेविका चयन किसी प्रकार का अनियमितता नहीं बरती गई है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(स.क.)09/13	गढ़वा जिला के खरौंधी प्रखण्ड के ग्राम बैतरा में सेविका एवं सहायिका चयन में अनियमितता के संबंध में श्री विवके मेहता का परिवाद ।	14.07.2015	उपायुक्त गढ़वा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त परिवाद को बंद कर दिया गया ।

dY; k.k foHkkx

de l 0	I fpdk l a; k	fo"k;	I fpdkLr dh frfFk	vf're vkn's k
1.	02/लोक(कल्याण)03/12	स्व.राजेन्द्र प्रसाद बेरा, ग्रेनगोला चौकीदार, जिला कल्याण कार्यालय जमशेदपुर की विधवा को पूर्ण पारिवारिक पेंशन 300 दिनों का उपार्जित अवकाश की राशि नहीं मिलने के संबंध में श्री पतित पावन बेरा का परिवाद ।	15.07.2015	जिला कल्याण पदाधिकारी जमशेदपुर से प्राप्त प्रतिवेदन व परिवादी से प्राप्त मंतब्य के अनुसार परिवादी के परिवाद का निष्पादन संबंधित कार्यालय द्वारा कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(कल्याण)04/13	सेवान्त लाभ के भुगतान के संबंध में राम सागर सिंह , बेगुसराय बिहार का परिवाद ।	09.07.2015	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी वैध देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।

m | ksx foHkkx

दॆ । ०	। ढडक । ॠ; क	fo"क;	। ढडकLr dh frFFk	v॑re vkns'k
1.	02/लोक(उद्योग)05/14	मो० हसन आजाद सेवानिवृत्त कीटपालक , सहायक उद्योग निदेशक रेशम पूर्णिया को ACP वेतनमान में पेंशन/उपादान लाभ का भुगतान नहीं होने के संबंध में ।	09.07.2015	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन तथा स्व. हसन आजाद की पत्नी से प्राप्त मंतव्य के अनुसार उनके परिवार का निराकरण हो गया है। उक्त के आलोक में परिवार को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

foKku , oa i ko\$ /kdh foHkkx

दॆ । ०	। ढडक । ॠ; क	fo"क;	। ढडकLr dh frFFk	v॑re vkns'k
1.	01/लोक(वि.प्रा.)53/08	श्री जितेन्द्र नारायण, प्रभारी प्रर्चाय राजकीय पॉलटेकनिक दुमका द्वारा वित्तीय अनियमितता कर सरकारी राशि गबन की जांच करने के संबंध में श्री प्रशान्त कुमार का परिवार ।	15.07.2015	सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग झारखण्ड सरकार से प्राप्त प्रतिवेदन तथा कृत कारवाई प्रतिवेदन के अनुसार आरोपित लोकसेवक के विरुद्ध विभाग द्वारा समूचित कारवाई किया गया है। उक्त के आलोक में परिवार को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

okf.kT; dj foHkkx

दॆ । ०	। ढडक । ॠ; क	fo"क;	। ढडकLr dh frFFk	v॑re vkns'k
1.	02/लोक(वा.कर.)03/13	बकाया राशि के भुगतान के संबंध में सुधीर कुमार, पटना का परिवार ।	21.07.2015	सचिव वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के सभी देय पावनाओं का भुगतान कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवार को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

fucaku folhkkx

de l 0	l f'pdk l a'; k	fo" k;	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkns' k
1.	01/लोक(निबंधन)02/2013	केवाला निबंधन रद्द करने के लिए रिश्त मांगने के आरोप के संबंध में शिवप्रसाद गुप्ता, पलामू का परिवाद ।	21.07.2015	उपायुक्त पलामू से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी का आरोप सही नहीं पाये जाने के कारण माननीय लोकायुक्त के द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया

f' kdk; r

de l 0	l f'pdk l a'; k	fo" k;	l f'pdkLr dh frffk	vfire vkns' k
1.	शिकायत सं. 543/2014	श्री चन्द्रशेखर प्रसाद पुलिस अधीक्षक लोहरदगा के द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में मो० जमालुद्दिन खान, कुज्जू रामगढ़ का शिकायत ।	21.07.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं० 602/2014	पॉकी थना काण्ड सं. 78 के अभियुक्तों के विरुद्ध समुचित नहीं करने के संबंध में खोदैजा बीबी, पलमू का शिकायत ।	15.07.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं. 587/2014	विजय कुमा पुला उपाधीक्षक, DGP कार्यालय द्वारा तस्करो से अवैद्य वसूली करने तथा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में श्री सुरेश महता धनबाद का शिकायत ।	09.07.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं. 556/14	गोला थाना में दर्ज प्राथमिकी सं. 169/14 के अभियुक्तों द्वारा केस वापस लेने एवं गवाहों को अपना ब्यान बदलने की धमकी दिये जाने के संबंध में श्री भोला कुमार दांगी का शिकायत ।	23.07.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।

5.	शिकायत सं 262/2014	सेवाने नदी पर छः पक्काबांध एवं लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में भारी घोटाला करने के संबंध में श्री सीताराम मेहता, हजारीबाग का शिकायत ।	23.07.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं 209/2015	स्व. प्रहलाद मंडल के खाते में जमा राशि का भुगतान के संबंध में इन्द्रावति मंडल जामताड़ा का शिकायत ।	09.07.2015	शिकायत वानांचचल ग्रामिण बैंक फतेहपुर से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं. 216/2015	स्व. फूलेश्वर सिंह के खाता में जमा राशि का भुगतान स्व. सिंह की पत्नी को कराये जाने के संबंध में ज्ञानी देवी , जामताड़ा का शिकायत ।	09.07.2015	शिकायत वानांचचल ग्रामिण बैंक फतेहपुर से संबंधित है जो झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा इसे खारिज कर दिया गया ।
8.	शिकायत सं. 38/2015	पुलिस द्वारा रिश्वत मांगने के संबंध में शीला टुडू, पाकुड़ का शिकायत ।	15.07.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
9.	शिकायत सं 268/2015	सियावर प्रसाद जिला शिक्षा अधीक्षक जामताड़ा पर अनियमितता के आरोप के संबंध में श्री उत्तम मंडल व अन्य का शिकायत ।	21.07.2015	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
10.	शिकायत सं. 142/2015	अंचलाधिकारी राँची शहर द्वारा दा. खा. वाद सं. 3756/11-12 में अनियमितता के संबंध में एस. एम. आदिल मनीटोला राँची का शिकायत ।	15.07.2015	इसवाद से संबंधित परिवादी को अन्य अनुतोष का लाभ प्राप्त है। अतः झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत वाद पोषणीय नहीं है। इस लिए वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
11.	शिकायत सं.29/2014	चर्च की सम्पत्ति को अवैद्य तरिके से बिल्डर को बेचने के संबंध में एस.आर. दास जमशेदपुर का परिवाद ।	21.07.2015	परिवादी के द्वारा समर्पित शपथ पत्र से स्पष्ट है कि केस सं. 147/2009 सक्षम न्यायालय में लंबित है। अतः शिकायत झारखण्ड लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।

12.	शिकायत सं. 197/2015	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में डॉ0 आर.के चक्रवर्ती की अवैद्य नियुक्ति के संबंध में श्री बिपीन बिहारी सिंह का शिकायत ।	30.07.2015	शिकायत कालबाधित रहने तथा अन्य अनुतोष का लभ प्राप्त रहने के कारण शिकायत पत्र को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
-----	---------------------	---	------------	--